न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 15/88

उदयलाल आत्मज श्री केसरी लाल गुर्जर उम्र 68 वर्ष जाति गुर्जर निवासी नगरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

द स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्मा, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, लाडपुरा जिला – कोटा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम नगपुरा की आराजी खसरा नं. 141 की 0.68 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 142 रकबा 0.65 हैक्टर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 सपठित धारा 90 ए के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 20 गुना शास्ति के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 04.06.2007 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.12.2014 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज करने का आदेश पारित किया ।

[illegible] से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज थी जो नदी की रेवाईन्स खाल की होने से फसल योग्य नहीं थी अपीलान्ट ने उक्त भूमि खाल को वर्ष 2006 में अपने साधनों से समतल कराकर काश्त योग्य बनाकर खेत में सुधार किया था जिसकी पटवारी हल्का ने झूंठी रिपोर्ट मिट्टी खुदाई की कर दी । उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा फसल काश्त की जा रही है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि खाल दर्ज है जो अपीलान्ट द्वारा किये गये लेवलिंग कार्य से संमतल होकर कृषि योग्य हो चुकी है जो इम्प्रूवमेंट की परिभाषा में आता है तथा उक्त इम्प्रूवमेंट के लिए काश्तकार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अधिकार दिये हुए हैं तथा ऐसे कार्य के लिए किसी से भी इजाजत की आवश्यकता नहीं होती है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर मिट्टी खुदाई की गई है । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण कर मिट्टी खुदाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी और विलम्ब के कोई संतोषप्रकद कारण दर्शित नहीं किये थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होना मानते हुए सही खारिज की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट द्वारा फसल काश्त की जा रही है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि खाल दर्ज है जो अपीलान्ट द्वारा किये गये लेवलिंग कार्य से समतल होकर कृषि योग्य हो चुकी है । नकल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2071 से 2072 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट द्वारा गेहूँ की काश्त की जा रही है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का ने मिट्टी खुदाई बाबत् जो रिपोर्ट पेश की है वह उचित प्रतीत नहीं होती है । पटवारी हल्का ने उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा मिट्टी की खुदाई करने का गलत आधार पर रिपोर्ट पेश की है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है । हम

प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.11.2017 को न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा में उपस्थित हों ।

9. निर्णय आज दिनांक 24.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा